

# केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)  
के रे बो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट,  
मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068



# CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. Of India)  
CSB Complex, BTM Layout  
Madivala, Bengaluru - 560 068

No.CSB-29(Int.)/GPF/2011-12

Date: 29<sup>th</sup> Jan. 2021

## CIRCULAR

Sub: GPF interest w.e.f 1.1.2021 to 31.3.2021 – regarding  
-----


Please find enclosed herewith the GOI Resolution F.NO.5(2)-B(PD)/2020, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) dated: 6<sup>th</sup> January 2021 wherein the GPF interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) had been fixed w.e.f. 1<sup>st</sup> January 2021 to 31<sup>st</sup> March 2021 which is self-explanatory, for kind information.

*M. Mahadeva* 29/01

[M.MAHADEVA]  
ASSISTANT DIRECTOR [A&A]

To:

All the Delegated Units





केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD  
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)  
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला  
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala  
बेंगलूरु Bangalore - 560068

सं. केरेबो-29(ब्याज)/साभनि/2011-12

दिनांक : 29.01.2021

### परिपत्र

विषय : दिनांक 01.1.2021 से 31.3.2021 तक साभनि ब्याज के संबंध में ।

\*-\*\*-\*\*\*-\*

कृपया आर्थिक मामला विभाग (बजट प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प फाइल सं. 5(2)-बी(पीडी)/2020 दिनांक 6 जनवरी 2021 इसके साथ संलग्न पाएं जिसमें 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक सामान्य भविष्य निधि ब्याज 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) की दर से निर्धारित की गई है, जो स्वतः स्पष्ट है और सूचनार्थ है।

  
(एन. महादेव)

सहायक निदेशक (वित्त)

सेवा में,

सभी प्रत्यायोजित इकाईयां

(भारत के राजपत्र में भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित)

सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

प्रशासनिक कार्य विभाग

नएद नएद

नएद नएद

नएद नएद, तिथि: 6 जनवरी 2021

CENTRAL GAZETTING BOARD  
New Delhi, India  
28 JAN 2021

(TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.No. 5(2)-B(PD)/2020

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

(Budget Division)

New Delhi, the 6th January, 2021

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2020-2021, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7% (Seven per cent) w.e.f. 1st January, 2021 to 31st March, 2021. This rate will be in force w.e.f. 1st January, 2021. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers' Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

(Rajesh Kumar Mishra)  
Additional Secretary to the Govt. of India

Bill Rec

(Rajesh Kumar Mishra)  
अवर सचिव, वित्त विभाग

व्यक्ति (एच. एच. शाखा)  
सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020

1. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
3. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
4. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
5. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
6. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
7. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
8. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
9. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
10. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
11. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020
12. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, विभाग प्रमुख के आदेश पर 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य फंड तथा सभी प्रकार के अन्य प्रकार के भविष्य फंड पर 7% की दर से ब्याज दर का निर्धारण, 2021 से 31 मार्च 2021 तक (एच. एच. शाखा) सं. संख्या 5(2)-बी(बी.सी.)/2020

To,  
The Manager (Technical Branch)  
Government of India Press, Mayapuri, Delhi.

F.No.5(2)-B(PD)/2020

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :-

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies)
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Comptroller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Governor/All Governors of all State/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM
12. NIC - For uploading on webhost.

(A.S. Chowdhury)  
Deputy Secretary (Budget)

(A.S. Chowdhury)  
Deputy Secretary (Budget)

